

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

उरजा राम vs राजकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 268 / 2024

-::आदेश ::-

दिनांक :- 18/12/24

प्रार्थी उरजा राम पुत्र श्री राधा नाथ

जाति कावरी निवासी कालकोरना तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम कालकोरना की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता सं. 529 में दर्ज अशुद्ध नाम उरजा राम पुत्र राधा नाथ जाति कावरी निवासी कालकोरना का शुद्ध नाम अजुन राम पुत्र राधा नाथ जाति कावरी निवासी कालकोरना की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्धि किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

Wd
सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा